

#### अमाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609] No. 609] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2014/कार्तिक 29, 1936 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2014/KARTIKA 29, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2014

सा.का.िन. 824(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप—धारा (1), उप—धारा (2) के खंड (v) और उप—धारा (3) के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः—

आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 के नियम 5 में, उप—नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप—नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(2) प्राधिकरण की अवधि 31 मार्च, 2015 तक होगी''।

[फा.सं. जे-22012 / 31 / 2005-सीएस(डब्ल्यू)]

बृजेश सिक्का, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पणी:—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप—खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 951(अ), तारीख 4 दिसंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

4579 GI/2014 (1)

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2014

**G.S.R. 824(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 25 read with sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby amends the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, namely:—

In the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, in rule 5, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:

"(2) The term of the Authority shall be upto 31st March, 2015".

[F. No. J-22012/31/2005-CS(W)]

BRIJESH SIKKA, Scientist 'G'

**Note:** -The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) *vide* number G.S.R. 951(E), dated the 4th December, 2010.